छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013

(फाल्गुन-3, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पुछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री हृदयराम राठिया के स्थान पर डॉ.शक्राजीत नायक एवं प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री ताम्रध्वज साहू के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2012-2013,

(2) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12,

(3) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1456/4163/2009/मबावि/50, दिनांक 16 जून, 2010 द्वारा अधिसूचित, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 24 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी किए जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में नल-जल योजना अंतर्गत पानी टंकी निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने कुकुदा एनीकट लीलागढ़ निर्माण कार्य के कृषकों को मुआवजा राशि प्राप्त न होने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग 353 के चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों एवं मकानों को तोड़े जाने,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने गरियाबंद उदंती वनमंडल में पदस्थ कर्मचारी की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने में विलंब किए जाने, तथा

(4) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने एन.टी.पी.सी. में प्रभावितों/आश्रितों को नौकरी देने के नाम पर भूमि अधिग्रहण किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री गुरू रूद्रकुमार, सदस्य ने आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
   (i) मंदिर हसौद में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण करने,
   (ii) नगर पंचायत आरंग में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण करने,
   (iii) अमसेना एवं धौराभाठा में पातालु नाले पर एनीकट स्टाप डेम निर्माण करने,
   (iv) ग्राम बेनीडीह में हाईस्कूल खोलने,
   (v) नगर पंचायत आरंग में कन्या महाविद्यालय खोलने,
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य ने बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
   (i) ग्राम बनभिंमौरी में पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने, तथा
   (ii) ग्राम खम्हरिया में आयुर्वेद अस्पताल भवन निर्माण करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की ।

7.माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, मोहम्मद अकबर,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(1.49 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बैदूराम कश्यप, भोलाराम साहू, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती लक्ष्मी बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव (भाषण अपूर्ण)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज शुक्रवार है, अतः अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित हैं। अब अशासकीय कार्य लिए जाएंगे।

8. अशासकीय संकल्प

(1) "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहरी व्यक्तियों तथा संस्थानों को छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की खरीदी पर प्रतिबंध के उपाय किये जाय ।"

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, खेदूराम साहू, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, टी.एस.सिंहदेव, सौरभ सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित हैं। आज अशासकीय कार्य अपराह्न 4.05 बजे लिया गया तद्नुसार सभा की कार्यवाही 6.35 बजे तक जारी रहेगी।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को वापस लेने हेतु माननीय सदस्य से अनुरोध किया।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) "यह सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि सरायपाली में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाय।"

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संकल्प में एक संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है तथा नियम 123(2) को शिथिल कर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि - सरायपाली के पश्चात् " *में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाय*" वाक्यांश के स्थान पर " *सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाए जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में प्रसारण कवरेज संभव हो सके*" वाक्यांश स्थापित किया जाय।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित संकल्प पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, टी.एस.सिंहदेव एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। तद्नुसार *"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि सरायपाली सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाए जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में प्रसारण कवरेज संभव हो सके"*

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 23 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 4 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा